

से दिनांक 10/8/2021 को पेश थे।

5/8/2021 वादी गंवर लाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया अपनी मराजीपर आवागमन के लिए रास्ते के लिए परिवारदीगण के विकल्प वाद पेश किया गया था किन्तु पक्षकारान के मध्य समझौता हो जाते से दोनो पक्ष कोई कार्यवाही नहीं चाहे है। वादपत्र को विद्वे की अनुमति पायी गई है। इस पर पत्रावली को सीगह से हलब की गई। पक्षकारान के मध्य समझौता हो जाते से वाद पत्र को अब और भागे चलाना नहीं चाहे है। वादी का प्रार्थना पत्र शचीकर किया जाता है। एषा वाद प्रकरण को विद्वे की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस कारण वाद प्रकरण को इसी स्तर पर ठाप दिया जाता है। पत्रावली के संख्या सुभाए वैन नम्बर से मम है।

उपखण्ड अधिकारी
इंगला

राजबाल
9/8/21
सामंशुप
वादी लाल
शम-पद

